(नियम 26) कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

मिसल नम्बर–99 / 2022

जीसीएमएस नं0– 2022 / 423

1.हरिराम उर्फ मोडूलाल आत्मज मथुरालाल जाति माली निवासी सांवरिया जी के मन्दिर के पास, नान्ता कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् वाद पत्र।)

दिनांक 20/5/25

उपस्थिति:–

1.वादी अभीभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् वाद–पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नान्ता पटवार हल्का नान्ता भूअभिलेख निरीक्षक सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में निम्न पांच किता की 1.07 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 पेश है। खसरा नम्बर 1485 की 0.56 है0, खसरा नं0 1486 की 0.03 है0, खसरा नं0 1487 की 0.26 है0, खसरा नं0 1509 की 0.01 है0 खसरा नं0 1510 की 0.21 है0 कुल 5 किता की 1.07 है0 भूमि है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व अन्य खातेदार के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोडूलाल पिता मथुरा हिस्सा 1 / 2 दर्ज है जो गलत है। वादी का नाम हरिराम है और उसके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, विद्युत निगम की आई डी, पेन कार्ड में हरिराम दर्ज है। वादी को घर में मोडूलाल के नाम से पुकारते थे इस कारण राजस्व रिकार्ड में मोडूलाल दर्ज हो गया। इस कारण उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में हरिराम उर्फ मोडूलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कराण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोडूलाल के स्थान पर हरिराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आश्य की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 1485 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 1486 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1487 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 1509 रकबा 0.01 है0 एवं ख0नं0 1510 रकबा 0.21 है0 कुल 5 किता की 1.07 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम

उपखण्ड अधिकारी

मोडूलाल के स्थान पर हरिराम अथवा हरिराम उर्फ मोडूलाल दर्ज किया जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादी को आदेशित किया जावे वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे। वाद व्यय वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

वादी के वाद–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि ग्राम नान्ता के ख0नं0 1485, 1486, 1487, 1509, 1510 में खातेदार मोडूलाल पुत्र मथुरालाल के दर्ज रिकार्ड है। उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया कि आम बोल चाल में वादी का नाम मोडूलाल है परन्तु दस्तावेज में हरिराम है। ग्राम वासियान द्वारा बताया कि मोडूलाल व हरिराम एक ही व्यक्ति है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस वादी द्वारा अपने वाद–पत्र पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, ड्राविंग लाईसेन्स, पहचान पत्र, पेन कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड की प्रति का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम नान्ता के ख0नं0 1485, 1486, 1487, 1509, 1510 में खातेदार मोडूलाल पुत्र मथुरालाल के दर्ज रिकार्ड है। उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया कि आम बोल चाल में वादी का नाम मोडूलाल है परन्तु दस्तावेज में हरिराम है। ग्राम वासियान द्वारा बताया कि मोडूलाल व हरिराम एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्तानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नान्ता पटवार हल्का नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या 243 खसरा नं0 1485, 1486, 1487, 1509, 1510 कुल 5 किता रकबा 1.07 है0 में खातेदार का नाम मोडूलाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर हरीराम उर्फ मोडूलाल पुत्र मथुरालाल दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 20/5/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा